

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण / समयबद्ध / हारा फैक्स / ईमेल / क्यूमेल
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सिग्नेचर भवन, पुलिस मुख्यालय, टावर-02 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
संख्या: डीजी-स्था०-ग्रीष्मकालीन स्था०ना०पु०/२०१९/२६४० दिनांक: दिसम्बर २०१९
सेवा में,

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक /
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक /
पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक /
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि विगत वर्षों की भाँति ही ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण व्यवस्था-२०२० के अन्तर्गत जोनल प्रभारी के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों प्रशासनिक आधार पर संस्तुत प्रकरण एवं अनुकम्पा के आधार पर निम्न पदों पर कार्यरत कर्मियां यथा:-

- 1— निरीक्षक नागरिक पुलिस
- 2— उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस
- 3— उपनिरीक्षक ना०पु० वि०श्र००श्र००/मुख्य आरक्षी ना०पु०
- 4— मुख्य आरक्षी वि०श्र००/आरक्षी पुलिस,

के स्थानान्तरण विषयक हस्ताक्षरयुक्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में दिनांक: 28-02-2020 तक इस मुख्यालय को जरिये विशेष बाहक एवं साप्ट कार्पी ईमेल आईडी digkarmik@gmail.com पर अपने स्पष्ट अभिमत सहित, "पुलिस स्थापना बोर्ड" विचारार्थ उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट 30-04-2020 नियत की गयी है।

उपरोक्त सूचनाओं मुख्यालय प्रेषित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही परिक्षेत्र एवं जोनल स्तर पर पूर्ण कर ली जाये :-

- (1) परिक्षेत्रीय प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक 10-02-2020 तक पूर्ण कर लेंगे तथा जोनल एवं मुख्यालय स्तर से वांछित स्थानान्तरण एवं सम्बन्धित सूची जोनल कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- (2) जोनल प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक: 20-02-2020 तक पूर्ण कर लेंगे।
- (3) मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में जोन के समस्त जनपदों की संकलित/समेकित सूची/विवरण दिनांक: 28-02-2020 तक इस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि कोई नामांकन प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय का होगा।
- (3) स्थानान्तरण से सम्बन्धित सन्दर्भों का परीक्षण शासनादेश दिनांक: 11-07-1986, 07-06-2014 व 24-07-2015 इस मुख्यालय के पत्र दिनांकित: 22-06-2017 में निहित प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये किया जाये। शासनादेश व पत्र की प्रति संलग्न है।

- (4) परिक्षेत्र/ जोन/ मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित ऐसे कर्मियों को अवश्य सूचीबद्ध कर लिया जाये जिनका विगत वर्ष में स्थानान्तरण हो चुका है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किये गये हैं।
- (5) प्रत्येक जनपद/ कार्यालय का पदवार स्वीकृत नियतन/ उपलब्धता/ रिक्ति एवं अधिकता का विवरण भी संलग्न किया जायेगा।
- (6) इस मुख्यालय द्वारा स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही दिनांकित: 31-03-2020 तक पूर्ण कर ली जायेगी अतएव जोन एवं परिक्षेत्र स्तर से चिन्हित समस्त कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक: 31-03-2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाये।
- (7) परिक्षेत्र/ जोनल/ मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित समस्त कर्मियों को दिनांक: 30-04-2020 तक प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि दिनांक: 30-04-2020 के उपरान्त कोई कर्मी कार्यमुक्त किये जाने हेतु शेष न रहे।

(1) अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण—

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों प्रार्थना—पत्रों में अंकित समस्याओं का परीक्षण जनपद स्तर पर करते हुये, अंकित तथ्य सत्य पाये जाने एवं स्थानान्तरण आवश्यक होने पर प्रार्थना—पत्र एवं सम्पूर्ण सेवा विवरण संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप—“ए” में उपरोक्तानुसार अग्रसारित किया जायेगा। इन सूचनाओं एवं आवेदनों का परीक्षण परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर भी किया जायेगा एवं मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण ही इस मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगें।

- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण पुलिस कर्मी का अधिकार और विभाग के लिये बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करते समय भी शासकीय/ विभागीय हित को वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिराकर एक ही स्थान पर कर्मी के स्वहित में काफी लम्बी अवधि तक तैनाती नहीं की जायेगी। यह स्पष्ट करना समीचीन है कि मात्र गृह जनपद की दूरी सामान्यता अनुकम्पा का आधार नहीं होगा।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय प्रतिस्थानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी टिप्पणी अंकित करेंगे।
- यदि पूर्व में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो एवं उसके कारण व उपलब्ध अभिलेखीय आधार उपलब्ध हों तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

(2) निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण—

जनपद/ इकाई में सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु Cut off Date 30-04-2020 नियत की गयी है। निर्धारित कार्यकाल निम्नवत् है:-

क्र०सं०	पदनाम	निर्धारित कार्यकाल	
		एक जनपद में	एक परिक्षेत्र में
1	निरीक्षक ना०पु०	05 वर्ष	12 वर्ष
1	उपनिरीक्षक ना०पु०	06 वर्ष	12 वर्ष
2	उपनिरीक्षक ना०पु० वि०श्र० / मुख्य आरक्षी ना०पु०	10 वर्ष	-
3	मुख्य आरक्षी ना०पु० वि०श्र० / आरक्षी पुलिस	15 वर्ष	-

उपर्युक्तानुसार निर्धारित कार्यकाल की परिधि में आने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण अलग—अलग निर्धारित प्रारूप—“बी” में हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित जनपदों द्वारा परिक्षेत्र/जोनल प्रभारी के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

3—प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण :-

प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण की संस्तुति इस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी—चार—स्था0(निर्देश)/2017 दिनांक:22—06—2017 के शीर्षक “प्रशासनिक स्थानान्तरण” के बिन्दु संख्या 1 से 6 में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये किया जाये।

4— ऐसे कर्मियों जो विगत वर्षों से स्थानान्तरणाधीन हैं, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं हो सके हैं,

- को पदवार चिन्हित कर अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुये उनकी सूचना प्रारूप—डी में संलग्न की जाये साथ ही ऐसे कर्मी जिनके नाम इस सूची से इतर अन्य सूची में भी हैं तो उनके नाम के सम्मुख इन तथ्यों का अवश्य अंकन किया जाये।
- मा0 उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थानान्तरण विषयक किसी प्रकरण में कोई स्थगनादेश पारित किया गया हो तो उसका स्पष्ट विवरण अंकित करते हुये स्थगन सम्बन्धी मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति भी संलग्न की जाये तथा प्रकरण में उद्यत तक की गयी कार्यवाही का भी उल्लेख किया जाये।

सामान्य निर्देश

1. इस पत्र के साथ निम्न प्रारूप संलग्न है:-

प्रारूप—ए	अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले—
प्रारूप—बी	निर्धारित समयावधि
प्रारूप—सी	प्रशासनिक एवं जनहित।
प्रारूप—डी	पूर्व से स्थानान्तरणाधीन कर्मियों का विवरण
प्रारूप—ई	पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति का विवरण

प्रायः यह देखने में आता है कि जनपदों में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर कर्मियों को समय से प्रचार—प्रसार न हो पाने के कारण, ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण की जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर निर्धारित तिथि के उपरान्त अराजपत्रित पुलिस कमी अपने प्रार्थना—पत्र लेकर सीधे इस मुख्यालय पर उपस्थित होते हैं, जिससे मुख्यालय पर अनावश्यक रूप से राजकीय कार्य प्रभावित होता है। अतः अपने जनपद/परिक्षेत्र/जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार—प्रसार कराने का कष्ट करें, जिससे सभी स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मी अपना आवेदन समय से कर सके तथा कोई भी कर्मी स्थानान्तरण के लिए सीधे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ में प्रस्तुत नहीं होगा।

3. अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों में से यदि कोई कर्मी पूर्व में आपके जनपद में प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण पर आया हो तो तत्सम्बन्धी आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

4. सम्बन्धित कर्मी के प्रार्थना पत्र को कमांकित किया जाये तथा कमवार सम्बन्धित प्रारूप में टंकित किया जाये।

5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अशा० पत्रांक: 8/2008 दिनांक 29.01.2008 के अनुसार सभी कर्मियों का पर्सनल नम्बर (पी०एन०ओ०) अंकित किया जायेगा। पर्सनल नम्बर के बिना किसी प्रकार का स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

6. सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन कर्मियों के स्थानान्तरण की सूची/संस्तुति भेजी जाय उनके पीएनओ नामिनल रोल डाटाबेस आन-लाइन में स्थानान्तरण सेवा विवरण, पूर्व नियुक्तियों एवं अन्य विवरण अद्यावधिक पूर्ण कर लिये जायें, यदि कोई कर्मी पूर्व में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा हो तो उसका विवरण भी अंकित किया जाय, यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित कर्मी का सेवाविवरण नामिनल रोल डाटाबेस में अपूर्ण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी की होगी।

7. स्थानान्तरण के समय विभागीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। ऐसा करते हुए भी पुलिस कर्मी की वार्ताविक समस्या के समाधान हेतु यथासम्भव सहानुभूति पूर्वक उसके प्रकरण पर विचारण किया जाय, जिससे वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा प्राप्त नामांकन/संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में रखीकृत नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

8. ग्रीष्मालीन स्थानान्तरण से सम्बन्धित उपरोक्त सभी सूचनाएं Microsoft Excel Sheet Krishna Font में तैयार कर प्रेषित की जाये, जिसमें यह ध्यान रखा जाये कि प्रत्येक कर्मी का विवरण एक सेल/रो में ही भरा जाय, कोई भी सेल मर्ज कदापि न किया जाय।

9. सभी सूचनाएं प्रिन्ट आउट के साथ सी०डी० तथा **E Mail ID-digkarmik@gmail.com** में भी अवश्य प्रेषित की जाय।

संलग्नकःप्रारूप ।

(डा० राकेश शंकर)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ इकाईयों ग
नियुक्त कर्मियों के कार्यकाल की गणना इस मुख्यालय के पत्र संख्या:डीजी-चार-स्थान-2017 / 900
दिनांक: 22-06-2017 के शीर्षक “कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में मानक” ,में निहित प्रावधानों के अनुसार
परीक्षण कराकर अपने स्तर से समायोजित करने तथा जिन कर्मियों का समायोजन उनके अधीनस्थ इकाईयों
में सम्भव न हो ,से सम्बन्धित कर्मियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग-अलग
सी0डी0 में तैयार कराकर मय हार्ड कापी दिनांक 20.02.2020 तक इस मुख्यालय को भेजवाने का कष्ट
करें:-

1—अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें/प्रशिक्षण निदेशालय/विशेष जांच/ भ्र०नि०सं०/ ई०ओ०डब्लू/अभिसूचनामुख्यालय/एसआईटी/मानवाधिकार/सतर्कता अधिष्ठान/रेडियो मुख्यालय/ सीबीसीआईडी/सहकारिता विभाग/फायर सर्विस मुख्यालय/यातायात निदेशालय/आईटैक्स/एटीएस उ०प्र० लखनऊ/उ०प्र० पुलिस मुख्यालय प्रयागराज/लाजिस्टिक/डा० भीमराव अम्बेडकर अकादमी, मुरादाबाद/ पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद/पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, सीतापुर/ ए०टी०सी० सीतापुर।

- 2— पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ० उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3— निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० लखनऊ।
- 4— पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० कम्प्यूटर केन्द्र, उ०प्र० लखनऊ।
- 5— अपर पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० केन्द्रीय वस्त्र भण्डार कानपुर।
- 6— सेनानायक, ए०पी०टी०एस० चुनार, मिर्जापुर/फायर सर्विस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव।
- 7— सेनानायक, पीटीएस मेरठ/गोरखपुर/मुरादाबाद/उन्नाव/सुल्तानपुर/जालौन।
- 8— पुलिस अधीक्षक, दस्यू उन्नूलन अभियान, कानपुर।
- 9— राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।
- 10— मोटर वाहन अधिकारी, रीजनल वर्कशाप, वाराणसी/मुरादाबाद/आगरा/लखनऊ।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ०प्र० लखनऊ।
- 2— अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ०, उ०प्र० लखनऊ।
- 3— पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

प्रारूप "रे"											
अनुसंधान के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कमियों का विवरण											
क्रमांक	पदाम	पेज	फैलडायर	कमी	पिता	जाति	जन्म	पर्सनल	पर्सनल पर	जन्मपद	पूँछ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										13	14
										15	16
										17	18
										19	20
											21

कार्यालयाद्यास के हस्ताक्षर
व मुहर

नोट: समस्त सूचनाएं भाइकोसाफ्ट एक्सेल में हिन्दी फार्म(फॉर्म) में तैयार की जायें, कोई कालम भर्ज न किये जायें, एक कमी की सूचना एक ही सेल में फीड की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में अकेत की जाय।

प्रालिपि

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

五
七
九
八

नोट: समस्त सूचनाएं बाइकोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(फ़ृज़ा) में तैयार की जायें, कोई कालम भर्ज न किये जाय, एक कर्म की सूचना एक ही सेल में ऑकेट की जाय।

THE SIGHTS OF THE CITY

प्राकृति शब्दी

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने वाले कमीयों का विवरण									
प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने वाले कमीयों का विवरण									
क्रमसंख्या	पदनाम	वर्ष	पारदर्शक	क्रमांक	पिता का नाम	जाति	जन्म तिथि	जन्म तिथि की नियुक्ति	जन्म तिथि की नियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

नोट:- समस्त सूचनायें नाइकोसफ्ट एक्सल में हिन्दी फार्म्यूला (कृष्णा) में तैयार की जाय, कोई कालम यर्जन किये जाय, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में फॉर्म की जाय व समस्त तिथियाँ DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

—समस्त सूचनायें माइक्रोसॉफ्ट एक्सल में हिन्दी फार्मट(बृहाण) में तैयार की कीड़ की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में ऑक्टेंट की जाय।

प्रारूप "डी"

स्थानात्तरणाधीन पलिस कर्मियों का दिवरण, जिन्हें कार्यमत्त नहीं किया गया।

कठोर	पदनाम	बैज नं०	पीएनओ नं०	कर्मी का नाम	मिता का नाम	नियुक्त जनपद का नाम	कठोर में	कठोर को	कार्यमुक्तता जाने का कारण	कार्यमुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
च मुहर

प्राणप् "ई"

स्वीकृत, नियतन, उपलब्धता, रिकॉर्ड एवं अधिकारों का विवरण											
क्रमांक का नाम	पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	सिक्षित	आधिकारों अनुकामा के आधार पर	निधारित अवधि के प्रेषित नामांकन की संख्या	निधारित आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	प्रशासनिक आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या			अन्युकृति
								1	2	3	

कार्यालयाभ्यास के हस्ताक्षर
व मुहर

अधिकारी/महत्वपूर्ण

मुख्यालय	पुलिस	महानिदेशक, 1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
संख्या:डीजी-चार-स्थानिदेश/2017/900		
सेवा में		

उत्तर प्रदेश

दिनांक: जून १२, 2017

**समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।**

कार्य अवगत कराना है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रक्रिया में आन्तरिक अनुशासन व पारदर्शिता बनाये रखने हेतु विभागीय भानकों को पुलिस महानिदेशक, उप्र० द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इन भानकों में से निम्न बिन्दुओं पर जोनल/परिसेत्रीय एवं जनपदीय प्रभारी के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है :-

कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में भानक :-

- 1- शासनादेश दिनांकित: 11-07-1988 के अनुसार निरीक्षक व उपनिरीक्षक का एक जनपद का अधिकातम कार्यकाल कमशः 05 वर्ष व 05 वर्ष निर्धारित है तथा परिसेत्र का अधिकातम कार्यकाल 12 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार मुख्य आरक्षी व आरक्षी का एक जनपद तथा अधिकातम कार्यकाल कमशः 10 व 15 वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निरीक्षक व उप निरीक्षक अपने गृह परिसेत्र व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। मुख्य आरक्षी व आरक्षी अपने गृह जनपद व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। सम्बन्धित कर्मियों को उन जनपदों में भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जहां पर उनकी अद्यत सम्पत्ति हो।
- 2- जनपद लखनऊ में निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त मुख्य आरक्षी नाइपु०/स०पु० एवं आरक्षी पुलिस लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकातम 05 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। हसी प्रकार निरीक्षक/उपनिरीक्षक नाइपु० भी लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकातम 03 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। जनपद लखनऊ के अतिरिक्त अन्य सभी जनपदों में निर्धारित जनपदीय सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त कोई भी निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षी उसी जनपद में स्थित अजनपदीय इकाई में नियुक्त नहीं रह सकेगा।
- 3- शासनादेश दिनांक: 24-07-2015 में पुलिस विभाग के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों निरीक्षक व उपनिरीक्षक को छोड़कर) जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष या उससे कम है, को उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किये जाने की घटस्था दी गयी है, परन्तु शासनादेश दिनांक: 11-07-1988 में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत सम्बन्धित कर्मी को जिस जनपद में उसका कार्यकाल पूर्ण है, नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- 4- जिन पुलिस कर्मियों की सेवानिवृत्ति 01 वर्ष या उससे कम अवधि में है उन निरीक्षल, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षीगण जिनकी सम्बन्धित जनपद/परिसेत्र में सम्पाद्यि पूर्ण हो चुकी है परन्तु वह उसी जनपद/परिसेत्र में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अनुकूल्या के आधार पर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
- 5- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी की शाजकीय रैतवे पुलिस में तैनाती की अवधि उस जनपद में जोड़ी जायेगी, जिस जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले थाना/घाँड़ी में वह कार्यरत रहा है।

- 6- अजनपदीय हकाईयों के मुख्यालय एवं खण्ड/अनुभाग में ऐसे पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी, यदि वह अजनपदीय हकाई अथवा उसका खण्ड/अनुभाग उनके गृह जनपद में स्थित है।
- 7- उपरोक्त मानक वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया में भी लागू होगें।

वार्षिक स्थानान्तरण :-

- 1- मुख्यालय पुलिस बहानिदेशक, उत्तर प्रदेश स्तर पर वार्षिक स्थानान्तरण में निरीक्षक नाइपु एवं उपनिरीक्षक नाइपु, स०पु को पूर्व की भाँति जोन आवंटित किया जायेगा। मुख्य आरक्षी नाइपु, स०पु व आरक्षी पुलिस को परिषेत्र आवंटित किया जायेगा।
- 2- मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में जोनल/परिषेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड, द्वारा एक सप्ताह में पुलिस कर्मियों को जनपदों में स्थानान्तरित/आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। जनपद स्थानान्तरित/आवंटित करते समय जोन/परिषेत्र के जनपदों में पुलिस कर्मियों के रिक्षितों के आनुपातिक सञ्जलन को बनाये रखने का दायित्व सम्बन्धित जोनल/परिषेत्रीय प्रभारी का होगा।
- 3- जोनल/परिषेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड कर्मियों को जनपद आवंटित किये जाने की सूचना सम्बन्धित बरिल पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक छोटे दोगे जो अधिकतम दो सप्ताह में प्रत्येक दशा में स्थानान्तरित कर्मियों को कार्यपूर्त करेंगे।
- 4- यदि कोई कर्मी वार्षिक स्थानान्तरण आदेश के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो मुख्यालय स्तर से आदेश निर्गत होने के 15 दिवस के अन्दर सीधे पुलिस बहानिदेशक, स्थापना कार्यालय को प्रेषित कर सकेगा, जिसे जोनल स्तर से अभिषेत्र प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा। मुख्यालय द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण के उपरान्त निर्णयानुसार सम्बन्धित कर्मी को 07 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- वार्षिक स्थानान्तरण में कार्यकाल निर्धारण हेतु कट आफ डेट सदैव की भाँति दिनांक: 30 अप्रैल को ही मानते हुए गणना की जायेगी।
- 6- सभी स्तरों पर वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जायेगी। इस अवधि के उपरान्त सामान्य स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

सामान्य स्थानान्तरण :-

- 1- वार्षिक स्थानान्तरण के उपरान्त यदि किन्हीं कर्मियों का गम्भीर/अपरिहार्य परिस्थितिशी स्थानान्तरण किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो सामन पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त कर ही स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 2- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु केवल उन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा जो सम्बन्धित अरजपत्रित पुलिस कर्मी द्वारा उचित माध्यम से प्रेषित/प्रस्तुत किये गये हैं।
- 3- कर्मी द्वारा यदि उचित माध्यम के अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों, कर्मियों के परिवारीजन/रितेदारों के माध्यम से अथवा उन्य श्रोतों से स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जाते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारी आधरण नियमावली-1958 के नियम 27-के में निहित निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी के विलद अनुशासनालयक कार्यवाही अपल में लायी जायेगी।

प्रशासनिक स्थानान्तरण :-

- 1- अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण की संस्तुति स्पष्ट तथात्वक आधारे पर ही की जायेगी। अभियुक्ता /एलओआईयू की आव्याय, कर्मी द्वारा यदवाय किया जाना, गैरकानूनी/अनैतिक कार्यों में लित होना अथवा उसका आधरण सरलारी कर्मियारी आधरण नियमावली के विरुद्ध है आदि स्पष्ट तथात्वक आधार होते हैं। भाव अस्पष्ट शब्द अंकित करना स्थानान्तरण का आधार नहीं याना जायेगा। समवित कर्मियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित शब्द जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनालक कार्यवाही अपल में लायी जाए।
- 2- ऐसे अराजपत्रित पुलिस कर्मियों जिनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जाना अनिवार्य ही हो, के सम्बन्ध में समग्र तथ्यों पर गहनता से विचार करते हुये यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे कर्मी के स्थानान्तरण से इगत प्रशासनिक कारण बास्तव में दूर हो सकेंगे।
- 3- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु सन्दर्भित किये जाने वाले प्रकरणों को समवित परिदेशीय एवं जोनल प्रभारी के माध्यम से एवं अजनपदीय इकाईयों के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेरित किये जायेंगे।
- 4- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने पर उन्हें स्थानान्तरित जनपद/स्थान हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण करने के उपचान समवित अराजपत्रित पुलिस कर्मी को उस जनपद/इकाई में चूनूतम दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
- 6- प्रशासनिक आधार पर किसी भी पुलिस कर्मी को किसी भी समय किसी भी जनपद/इकाई में सहम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता है।

निलम्बन दशा में सम्बद्धता :-

- 1- निलम्बित पुलिस कर्मी को उनके निशुल्त स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, वरन् शासनादेश दिनांक 12-03-2010 में निहित प्राप्यान्तरों के अनुरूप आवश्यक होने पर निलम्बित कर्मी को अन्यत्र परिसेत्र अथवा उसके जनपदों में सम्बद्ध किया जायेगा।
- 2- ऐसे सम्बद्ध कर्मियों की बहाती पर समवित पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व पूँछा कि यह बहाती की सूचना सम्बद्धता आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी व सम्बद्धता दो जनपद को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा कार्यालय में कार्यालय कर्मियों की सम्बद्धता

- 1- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी को किसी भी जनपद/इकाई/कार्यालय में किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। समवित पुलिस कर्मी जिस पद पर कर्तव्यरत है, वह पद यदि उस जनपद/इकाई/कार्यालय में स्वीकृत है, तो तभी उस पदवारक को वहां नियुक्त किया जायेगा।
- 2- आवश्यक होने पर स्वीकृत नियतन से अधिक कर्मियों की नियुक्ति की जा सकेगी, परन्तु किसी भी दशा में कर्मी सम्बद्ध नहीं किये जायेंगे।

- 3- जिन कार्यालयों/इकाईयों में जिस पद का स्वीकृत नियतन नहीं है, वहाँ उस पद के कर्मी नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

स्थानान्तरण आवेदनों का अनुपालन:-

- 1- सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध में निर्गत स्थानान्तरण आदेशों के अनुपालन में स्थानान्तरित कर्मी को स्थानान्तरण आदेश ग्राह करने के पञ्चद दिवस में अन्दर प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 2- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी का स्थानान्तरण आदेश किसी भी दशा में स्थगित नहीं किया जा सकेगा।
- 3- जोनल/परिसेन्ट्रीय प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके कार्मियों को प्रत्येक दशा में अन्तर स्थानान्तरित/रखाना कर दिया जाये। यदि किंहीं कर्मियों ने जोन के अन्तर्गत समयोजित किया जाना समय न हो तो उनका सेवा-दिवरण इस मुख्यालय को प्रेरित किया जाये।
- 4- इस मुख्यालय द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेशों से स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में अनुपालन आड्या जोनल/परिसेन्ट्रीय प्रभारी एवं अजनपदीय इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5- जोनल/परिसेन्ट्रीय प्रभारी तथा अजनपदीय इकाई के निम्नाध्यक्ष, अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्थयं द्वारा स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति का पर्याप्तण करेंगे। इस मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना भांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

वाहय सेवा में प्रतिनियुक्ति :-

- 1- मुख्य आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी स०प० के पद पर स्थानान्तरित होने पर जनपद/इकाई में आगमन की तिथि से दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त वाहय सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किये जाने पर विधार किया जायेगा।
- 2- वाहय सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी नियुक्ति जनपद से कार्यमुक्त होकर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प० स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ में आगमन दर्ज कराकर ही प्रतिनियुक्ति की इकाई हेतु प्रस्थान करेगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों को 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उन्हें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प० स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु वापस लिया जायेगा, उहाँ से उन्हें स्थानान्तरित जनपद हेतु रखाना किया जायेगा।
- 3- प्रतिनियुक्ति से वापस आये कार्मियों की उनके प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के सम्बन्ध में यदि शिकायत ग्राह की जाती है तो, सम्बन्धित जोनल/परिसेन्ट्रीय प्रभारी समीक्षोपरान्त आवश्यक होने पर उसको कर्मी अन्यत्र स्थानान्तरित करेंगे।
- 4- 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि घटाई नहीं जायेगी।
- 5- वाहय सेवा में प्रतिनियुक्ति से गहन जनपद में वापस जाने पर उसे न्यूनतम दो वर्ष तक उस जनपद में नियुक्त/स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, जहाँ पर वह वाहय सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्यरत था।

६- याहुय सेवा में प्रतिनियुक्ति के दोरान कर्मी-जिन-जिन जनपदों में कार्यरत रहेगा वह अवधि उसकी उस जनपद की जनपदीय पुलिस सेवा अधिकारी में आगमित की जायेगी।

७- याहुय सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मी को प्रतिनियुक्ति की इकाई द्वारा उन जनपदों में नियुक्त नहीं किया जायेगा जहाँ सम्बन्धित कर्मी का पुलिस विभाग का जनपदीय कार्यकाल पूर्ण हो। अराजपत्रित पुलिस कर्मियों का जनपदीय कार्यकाल शासनादेश दिनांकित 11-07-1888 द्वारा परिभासित है। साथ ही प्रतिनियुक्ति की इकाई में भी उसकी नियुक्ति अवधि सम्बन्धित जनपद में निर्धारित कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

८- याहुय सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर दिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये अपने गहन जनपद/इकाई में आगमन करा लिया जायेगा। ऐसा न करने पर आदेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में गहन जनपद/इकाई के प्रभारी पुलिस अधीकार द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

९- प्रतिनियुक्ति पर तैनात किसी भी कर्मी को प्रशासनिक आधार पर प्रतिनियुक्ति के छपकम/इकाई द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही ऐक्रक विभाग को यापस किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में समिति द्वारा तथ किये गये यात्रकों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कराने का काट करें।

२५/६/१४
(एसएम००३ शिरडलपू)
पुलिस महानिरीक्षक, रखण्डा
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को कथया सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- १- समस्त परिषेन्नीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- २- समस्त दरिच पुलिस अधीकार/पुलिस अधीकार/प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को कथया सुचनार्थ प्रेरित :-

- ३- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस।

०८/६/१४
25/6/14

•{2}

- ४- यहाँ हिंदू-ग्रंथ भी निर्वाचित थिये हैं कि पाते के उपरी भागोंमें शास्त्रिक रूप से स्वरूप अधिकारी ही हो, अतः धारालक्षण्या विद्या निर्वाचित/उप निर्वाचित है ५० वर्ष से बोल्ड आवृत्त भाषण कर तो हो, नन्हे पर्यावाची का कार्यकारी न दिया जाए ! इस सीरीज़ में शास्त्रिक व्याख्याता ही है। याराल्टड गतिशील भी थारो छिपे गए हैं ।

५- दृढ़ शास्त्र-बैंक व्याख्यातीत को अपने गृह व्यापार से बचा गृह व्यापार से बचा जाती है तो उन्हें यह विद्या जारी करनी चाही तो उन्हें अपने भागीड़ी अवसर सुनिश्चित हो, उन्हें यह विद्या दिया जाए । दृढ़ शास्त्र-बैंक एक अपार ये १० वर्ष दशा व्याख्यातीत को उसे अपनाते हुए जारी रखा जाएगा तो उन्हें यह विद्या जारी करना है, यिससे दृढ़ व्याख्यातीत से विदेश में दूसरी व्याख्यातीत भी निरुद्दिष्ट की जाएगी भी अस्तित्व होगी ।

६- वर्षांसेर जारी होनेवाली इन्सर्वेटिव इन्सर्वेट तो ताकू उपर्याहे जारी हो ।

७- युवराज विद्यालय के युवराज युवराज के संस्थापक प्रसादरे ये सम्पुण्डित संसारीपा लिये अस्त्रे हुए युवराजियामध्ये २ वर्ष व्यापार भेजा जाए ।

४३८

१०

पाता चूल्हे

- ४५ -

संख्या रूप : 5001/प्रवासी-तरिका

प्रतिनिधि दिवसीय उद्योग समर्पण एवं आसक्त वार्षिकी हेतु प्रैषित :

- (1) पुस्तक वालानीरोड, उहैम मुख्यालय, राजगांव ।
 - (2) उनिश वालानीरोड, अमेत्सवन विधान, गोपा, ३०५० ।
 - (3) पुस्तक वालानीरोड, अंशुराप भुजांग विधान, गोपा, ३०५० ।
 - (4) पुस्तक वालानीरोड, चंद्रधोड, गोपा ।
 - (5) पुस्तक उत्तरानीरोड, उत्तराप रेतारे पुस्तक, ३०५०, राजगांव ।
 - (6) विरोड़, पुस्तक टैक्सो बैंचा, गोपा पुस्तक टैक्सो नुखालड, राजगांव ।
 - (7) गोपापुस्तक गोपाको २,३,५,६,८,९,१०,११,१२ व फैस्ट-७
 - (8) दाखल, पुस्तक भौति को ।

ଅମ୍ବା

10

अपौर्व सिन्हा, भंडुला मध्यें ।

FAX

संख्या: 1001/८-५-१-१५-८१/२०११

(6b03)

प्रियजनों को
मिलावती बायोका
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार
से दोषांशु

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश सरकार।

गृह (पुतित) अनुसार-१
प्रियजन-पुतित दंड से आतंकवित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानापालन के सम्बन्ध में।

3202
सारांश

महोदय,

एप्रूवित विषयक कृपया अपने दब लेखा: डीपी-यास-स्या०-१०६(३७०)/२०१६, दिनांक १७-०५-२०१५ द्वा उत्तर प्रदेश कर्तव्य का छाप करें, जिसमें हाथ राज्य सरकार के उचितान्वयिते द्वारा राज्यालयीय कार्यालयों को उनकी भौतिकीयता के ८२ दर्जी संवादालयों से अतांत्र बाबते गृह विवरण से दीक्षिणांत्री जनपदों में नियुक्त उनके द्वी प्रबन्धकों को ताकू करने हेतु यातानाम संघर्ष: १०३९/८-पु-१-१५-८१/२०११, दिनांक ०७-०६-२०१४ में भौतिक विषये पराने का प्राप्तान उपलब्ध कराया गया है।

२- इस सम्बन्ध में भौतिक दृढ़ करने का विदेश हुआ है कि अन्य राज्य कर्मचारियों की भौतिक विषयों के सभी आतंकवित अधिकारियों/कर्मचारियों (निरीक्षण तथा उचित नियुक्ति की दीड़ते हुए) को जिसी दृष्टि ०२ दर्जी या अतांत्र दर्जी, उनके गृह विवरण से दीक्षिणांत्री जनपदों में नियुक्त दिए जाने का तात्पर गीतारोहणात्मक विषय लिया गया है।

३- प्रश्नगत राजनन्देश दिनांक ०७-०६-२०१४ को एक भी तरफ संगोष्ठित राज्या जनपद सूच्या राज्यालय कार्यालयी तुनियोंका है।

T6(E)

WV
१५
२५-७-१५पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेशमिलीय
(पुतित विषय)
राज्य।

संख्या: 1001(1)/८-५-१-१५-८१/२०११ प्रतिनोदित।

प्राचीनतम् विषयोंका कार्यालयी हेतु दीर्घिता-

१. अपर पुतित महानिदेशक, उत्तर पुतित युवालय, इत्याहाराद।
२. अपर पुतित महानिदेशक, अमित्युपाया विभाग, उत्तर प्रदेश।
३. अपर पुतित महानिदेशक, अपर पुतित युवालय विभाग, उत्तर प्रदेश।
४. अपर पुतित महानिदेशक, विभागीय, उत्तर प्रदेश।
५. अपर पुतित महानिदेशक, राज्यीय दैवि पुतित, उत्तर प्रदेश।
६. अपर पुतित महानिदेशक, दूसराया, उत्तर पुतित दीर्घिते युवालय, सदनल।
७. पुतित उप प्राचीनतम् विषयोंका कार्यालयी हेतु पुतित युवालय, इत्याहाराद।
८. पुतित उप प्राचीनतम् विषयोंका कार्यालयी हेतु पुतित युवालय, सदनल, उत्तर प्रदेश।
९. गृह (पुलिस) द्वारा गोपन के सामान अनुग्राम।
१०. गार्ड लाइट।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

26/7/15

आगा दे,

(राज्य सात)
अनु लिय।

पुतित उप प्राचीनतम् विषयोंका कार्यालयी हेतु पुतित युवालय दीर्घिते युवालय
उप २० जनपद।
१५०८८८।